(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 06/2021-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,कॉलम (3) में, मद (iv) में, उपवाक्य (छ) में, शब्द, अंक, अक्षर और संकेत "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "की धारा 12कक या 12कख" अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

(i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी हस्तांतरण या उसके उपयोग की अनुमति।	18	-";

(ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(i) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (iग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iगक) मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	18	-";

(ii) मद (iघ) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख) और (iग)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग) और (iगक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iगक), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,-

(i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	18	-";

(ड.) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iiiक) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं; (क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या (ख) बैले, - अन्य स्थान जो कि नीचे (iiiक) में कवर नहीं किए गए हैं	18	-
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं - (क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस	28	-";

क्लब की सुविधा हो या (ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग		

(च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची I,क्र. सं. 234" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची II, क्र. सं. 201क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 354/207/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 14 जून, 2021, सा.का.नि. 402 (अ), दिनांक 14 जून, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।